

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 16]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 17 अप्रैल 2026—चैत्र 27, शक 1948

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 27 मार्च 2026

क्रमांक PLGMJ-2301/23/2025-GAD-1.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार व्यास, न्यायाधिपति, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर को दिनांक 13-03-2026 से 18-03-2026 तक कुल 06 दिन का पूर्ण वेतन भत्तों सहित अर्जित अवकाश का लाभ लेने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. भूआर्य, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 576/202511042100010/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	लोईग प.ह.नं. 40	0.080	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 579/202511042100011/अ-82/2024-25.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	भगोरा प.ह.नं. 35	0.170	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 27 मार्च 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 583/202511042100082/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	सालहेपाली प.ह.नं. 17	0.716	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 703/202602042100004/अ-82/2025-26.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	रामपुर-बड़े, शीट प.ह.नं. 41	232.34	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 704/202602042100005/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बेलादूला प.ह.नं. 56	243.124	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 7 अप्रैल 2026

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 705/202602042100006/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	रायगढ़	बड़े अतरमुड़ा प.ह.नं. 58	0.2431	—	—

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मयंक चतुर्वेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय कलेक्टर, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

बलौदाबाजार-भाटापारा, दिनांक 13 अप्रैल 2026

रा.प्र.क्रमांक/740/298/202603211000056/अ-82/2025-26.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलौदाबाजार- भाटापारा	सिमगा	ग्राम मोहभट्टा प.ह.नं. 21	25.477	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र जिला बलौदाबाजार	औद्योगिक प्रयोजन हेतु

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सिमगा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुलदीप शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला-उत्तर बस्तर कांकेर,
छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग**

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2026

क्रमांक/118/वा./भू.अ./प्र.क्र./202406141400012/अ-82/
2024-25.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-भानुप्रतापुर
- (ग) नगर/ग्राम-ग्राम चौगेल, टेकाढोडा, पेवारी एवं किनारी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.81 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
300/1	0.12
300/2	0.36
309/1	0.19
315/3	0.29

(1)	(2)
317/3	0.06
318	0.01
136	0.20
160	0.32
15	0.20
21	0.06
योग	10
	1.81

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भानुप्रतापपुर के अन्तर्गत राजनांदगांव-बैलाडीला कि.मी. 81 से 123 कुल 43 कि.मी. राज्य मार्ग-05 चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2026

क्रमांक/119/वा./भू.अ./प्र.क्र./202206141400011/अ-82/2021-22.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-	
(क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर	
(ख) तहसील-पखांजूर	
(ग) नगर/ग्राम-ग्राम चारगांव/सरगीकोट	
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.15 हेक्टेयर	
खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)
46	0.12
398	0.03
योग	02
	0.15

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोयलीबेड़ा अंतर्गत तहत सिकसोड़-चारगांव मार्ग के कि.मी. 7/4 चारगांव नदी पर सेतुमय पहुंचमार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, पखांजूर के कार्यालय में किया जा सकता है.

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 17 मार्च 2026

क्रमांक/122/वा./भू.अ./प्र.क्र./202406141400012/अ-82/2024-25.— चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
 - (ख) तहसील-भानुप्रतापपुर
 - (ग) नगर/ग्राम-दमकसा, प.ह.नं. 05 एवं तरहुल, प.ह.नं. 04
 - (घ) लगभग क्षेत्रफल-5465.00 वर्गमीटर

खसरा नम्बर	रकबा
(1)	(2)
381/3	490.00
381/4	240.00
381/2	138.00
381/1	84.00
376/1	0.08
379	0.10
385/1	0.08
342/2	90.00
134/1	120.00
282/3	312.00
282/1	64.00
281/3	100.00
134/2	128.00
281/2	102.00

(1)	(2)	(1)	(2)
281/1	112.00	260/1	148.00
134/3	128.00	275/1	56.00
134/4	72.00	275/2	112.00
135	404.00		
259	297.00	योग	33 5465.00
86	42.00		
83/1	444	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-विकासखण्ड	
72/1	492.00	भानुप्रतापपुर के अन्तर्गत संबलपुर-सिलपट मार्ग लंबाई 21.40	
70	276.00	कि.मी. का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य हेतु.	
148/8	144.00		
148/5	108.00	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
148/2	96.00	(रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, भानुप्रतापपुर के कार्यालय में किया	
148/1	106.00	जा सकता है.	
140	154.00		
141	40.00	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
142	156.00	निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

रायगढ़, दिनांक 15 अप्रैल 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-5 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 810/202604042100042/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम कठली, प.ह.नं. 24, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की शासकीय एवं निजी भूमि का मेसर्स कोरवा वेस्ट पॉवर लिमि. कंपनी द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन अधिनियम 2004 (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-कठली, प.ह.नं. 24, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाइप लाइन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन हेतु प्रभावित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	कठली/ प.ह.नं. 24	7/3	0.021
			8/1	0.085
			14/1	0.010
			14/2	0.010
			15/2	0.087
			15/3	0.008
			16/1	0.104
			16/2	0.135
			17/2	0.015
			23/2	0.002
			23/4	0.020
			95/1 kh	0.021
			103	0.036
			104/1	0.009
			104/2	0.012
			104/3	0.012
			106/1	0.008
			107/1	0.012
			107/2	0.044
			107/3	0.040
			107/4	0.016
			107/6	0.020
			108/1	0.011
			108/2 ka	0.017
			117/1	0.012
			117/2	0.015
			117/3	0.012
			117/5	0.017
			118	0.006
			164	0.128
			165	0.078
			166	0.008
			167/1	0.036
			168/1	0.040
			168/3	0.004

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			169	0.032
			170	0.030
			197/2	0.004
			198	0.084
			203/2	0.014
			203/3	0.033
			204	0.066
			205	0.034
			206	0.031
			309	0.041
			310	0.044
			311	0.035
			312/1	0.040
			312/2	0.012
			313	0.044
			316	0.004
			317/3	0.041
			318	0.025
			393	0.008
			394/1	0.015
			413	0.041

कुल प्रभावित खसरा संख्या- 56 कुल प्रस्तावित रकबा 1.789 हे.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

रायगढ़, दिनांक 15 अप्रैल 2026

“प्रारूप-ख”

[नियम-4 का उपनियम (1)]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 813/2026042100041/बी-121/2025-26.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम टपरदा, प.ह.नं. 24, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ (छ.ग.) की शासकीय एवं निजी भूमि का मेसर्स कोरवा वेस्ट पॉवर लिमि. कंपनी द्वारा छ.ग. भूमिगत पाईप लाईन अधिनियम 2004 (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी है.

और राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ग्राम-टपरदा, प.ह.नं. 24, तहसील पुसौर जिला रायगढ़ की भूमि का जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा नं.	भूमिगत पाइप लाइन हेतु प्रभावित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
रायगढ़	पुसौर	टपरदा/ प.ह.नं. 24	32/4	0.040
			32/5	0.032
			32/6	0.014
			32/8	0.043
			32/9	0.042
			32/10	0.053
			32/14	0.056
			32/15	0.020
			32/16	0.028
			32/17	0.045
			32/18	0.074
			32/19	0.025
			32/26	0.030
			32/27	0.021

कुल प्रभावित खसरा संख्या- 14 कुल प्रस्तावित रकबा 0.523 हे.

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रायगढ़, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप से आक्षेप भेज सकेगा.

महेश शर्मा
सक्षम प्राधिकारी
अनुविभागीय अधिकारी (रा.).